राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय जयपुर

क्रमांक एफ–4/मु./वित्त/बैंक समा./2020/4343 दिनांकः 21.9.20

क्षेत्रीय प्रबन्धक/मण्डल प्रबन्धक/शाखा प्रबन्धक

....

....

....

विषयः– कैश इन सेफ एवं कैश इन ट्रांजिट राशि का बीमा कराये जाने के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत लेख है कि निगम के विभिन्न आगार, केन्द्रीय बस स्टेण्ड एवं केन्द्रिय कार्यशाला, मेला स्थल आदि इकाइयों में दैनिक संग्रहित राशि एवं उनके अधिनस्थ क्षेत्रों में ऐसे बुकिंगघर जिनकी राशि आगार/बैंक में जमा होती है तथा उक्त दोनों प्रकार की राशि निगम आगार/बुकिंगघर की चेस्ट/ सेफ में रहती है, निगम में उपलब्ध उक्त राजस्व को अगले कार्य दिवस में बैंक के आहरण/संग्रहण खाते में जमा करवाया जाता है।

उक्त संग्रहित राशि को निगम रोकडिया एवं निगम कर्मचारी के द्वारा निगम वाहन से तथा ऐसे स्थान जहाँ निगम वाहन नही जाता है, वहाँ अन्य वैकल्पिक साधन द्वारा बैंक में राशि जमा करवाई जाती है। अतः उक्त राशि का निम्नानुसार बीमा करवाया जाना प्रस्तावित हैः–

1. निगम कोष में जमा राशि की सुरक्षा।
2. संग्रहित राशि का बैंक में जमा करवाये जाने तक की सुरक्षा।

उक्तानुसार निगम के समस्त आगार के कोष (चेस्ट) में रखी हुई एवं मार्गस्थ राशि जो औसतन प्रतिदिन 2.70 करोड रूपये के लगभग है, बीमा करवाये जाने हेतु नियम, शर्ते एवं प्रीमियम राशि से सम्बन्धित सीलबन्द बोली दिनांक 01.10.2020 को 3.00 PM बजे तक भिजवाने का श्रम करावें।

नोटः– 1. बीमा करने वाली फर्म वित्तीय बोली (Financial bid) की दरे पृथक से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करे।

2.बीमा करने वाली फर्म तकनीकी बोली (Technical bid) की दरे पृथक से सीलबन्द लिफाफे में प्रस्तुत करे।

3. गत नौ वर्षो से निगम द्वारा बीमा करवाया जा रहा है, इसमें से सात वर्षो में निगम ने बीमा कम्पनी से कोई बीमा क्लेम राशि प्राप्त नही की है। वर्ष 2016 में बीमा कम्पनी से मात्र 16000/– रू. बीमा क्लेम की राशि निगम ने प्राप्त की है।

वित्तीय सलाहकार

संलग्नः– 1. आगार/इकाइयों की सूची 2. सामान्य शर्ते 3. बोली सूचना, प्रपत्र एवं फार्म 4. अनुबन्ध पत्र का प्रोफार्मा 5. वित्तीय बोली (Financial bid)का प्रोफॉर्मा 6. तकनीकी बोली (Technical bid) का प्रोफॉर्मा

सामान्य जानकारी एवं शर्तेः–

1– निगम के विभिन्न आगार केन्द्रीय बस स्टेण्ड, केन्द्रीय कार्यशाला एवं मेला स्थल आदि ईकाइयों में दैनिक संग्रहित राजस्व राशि एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रों में ऐसे बुकिंग घर जिनकी राशि आगार/बैंक में जमा होती है तथा उक्त दोनों प्रकार की राशि निगम आगार/बुकिंग घर की चेस्ट में रहती है। निगम में उपलब्ध उक्त राजस्व को अगले कार्य दिवस में जमा करवाया जाता है।

2– उक्त संग्रहित राशि को निगम रोकडिया एवं निगम कर्मचारी के द्वारा निगम वाहन से तथा ऐसे स्थान जहाँ निगम वाहन नही जाते है, वहाँ अन्य वैकल्पिक साधन द्वारा बैक में जमा करवाई जाती है।

3– बीमा निगम के कोष की राशि की सुरक्षा एवं संग्रहित राशि को बैंक में जमा करवाने तक की सुरक्षा हेतु करवाया जाना है।

4– सम्बन्धित ईकाइयों के नाम एवं उसकी अनुमानित दैनिक औसत राजस्व राशि का विवरण पत्र सलंग्न है।

5– कैश इन ट्रांजिट एवं कैंश इन सेफ का बीमा सलंग्न विवरण के अनुसार निगम की सभी यूनिटस जो राज्य एवं अन्तर्राज्यीय सीमा में स्थित है, समस्त पर लागू होगा।

6– कैश हेतु संधारित रिकार्ड/सेफ की चाबियॉ रखने आदि की प्रकिया निगम नियमानुसार बीमा कम्पनी को मान्य होगी।

7– बीमा कम्पनी को निगम के साथ रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र का प्रारूप सलंग्न किया जा रहा है। जिसकी शर्ते भी बीमा कम्पनी को मान्य होगी।

Deepali

उप महा प्रबन्धक(वित्त/बैंक–समाधान)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर 302001

बोली–प्रपत्र

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर के तहत निगम की विभिन्न ईकाइयों के चेस्ट में रखी हुई राशि एवं चेस्ट के बैंक में जमा करवाने तक का मार्गस्थ राशि का बीमा करवाये जाने हेतु खुली बोली आमंत्रित की जाती है। बोली के लिए विवरण एवं अन्य सूचनाएँ निम्न प्रकार है:–

1– बोली प्रपत्र जारी की दिनांक 21.09.2020

2– बोली प्रपत्र जमा की दिनांक 01.10.2020 को 3.00 PM बजे तक।

3– बोली खोलने की दिनांक 01.10.2020 को 3.30 PM बजे

4– बोली प्राप्त एवं खोलने का स्थान:–उप महा प्रबन्धक (वित्त), ,राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

सलग्नः–उपरोक्त बोली के लिए
सामान्य जानकारी एवं शर्ते

Deepali

उप महा प्रबन्धक(वित्त/बैंक–समाधान)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम
मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर 302001

बोली–सूचना

निगम की विभिन्न इकाईयों के चेस्ट में रखी हुई राशि एवं चेस्ट से बैक में जमा करवानें तक का मार्गस्थ राशि का बीमा करवाये जाने हेतु खुली बोली प्रस्ताव दिनांक 01.10.2020 को 3.00 PM बजे तक आमंत्रित की जाती है तथा प्राप्त बोली प्रस्ताव को उसी दिन सांय 3.30 PM बजे बोली प्रस्ताव में भाग लेने वाली बीमा कम्पनी के उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष निगम कमेटी द्वारा खोला जावेगा।

बोली प्रस्ताव के नियम, शर्ते एवं विस्तृत जानकारी निगम की वेबसाइट WWW . transport. rajasthan. gov.in / rsrtc अथवा sppp. rajasthan. gov. in (State Public Procurement Portal Website) पर देखी जा सकती है।

उप महा प्रबन्धक(वित्त / बैंक–समाधान)

Due on.................
Date of opening: ....

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION

Parivahan Marg, Chomu House, Jaipur.

BID FORM

NB: This form is not transferable and can be use of only by the Insurance Company in whose favour it is issued

1. Subject : Insurance for cash in safe and cash in transit.
2. Reference : The Financial Advisor, Rajasthan State Road Trasport Corporation, Jaipur

Bid Notice No.................. dated

3. Address : The Financial Adviser, Rajasthan State Road Transport Corporation, H.O. Parivahan Marg, Jaipur.

1. Name and Full Address of Bidder

....

....

....

2. I/ We agree to abide by all the terms and conditions mentioned in above Bid notice No................ Dated......................... and also the further terms and condition of the said bid notice give in the attached sheets all pages of which have been signed by me/us in token of my/our co. acceptance of terms and conditions mentioned therein and are returned herewith along with tender.
3. The Premium rares are given in the enclosed list.

Encl: As above.

Signatures of the Bidder
along with seal

अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांक..................को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय परिवहन मार्ग जयपुर (जिसे आगे निगम कहा जायेगा) और .... जिसमें इसके मालिक, साझेदार,उत्तराधिकारी, प्रशासक, आदि जैसी भी स्थिति हो, सम्मिलित है। (जिसे आगे बीमा कम्पनी कहा जावेगा) जिसका पंजीकृत कार्यालय.. शाखा / मण्डलीय कार्यालय के मध्य निगम की मार्गस्थ एवं सेफ में रखी राशि का बीमा कराये जाने हेतु अनुबन्ध बीमा कम्पनी से निम्न शर्तो के अधीन किया जाता हैः—

1. यह है कि अनुबन्ध की अवधि दिनांक............ से .... तक होगी।
2. निगम के विभिन्न आगार, केन्द्रीय बस स्टेण्ड एवं केन्द्रीय कार्यशाला, मेला आदि इकाईयों में दैनिक संग्रहित राशि एवं उनके अधीनस्थ क्षेत्रों में ऐसे बुकिंग घर जिसकी राशि आगार/ बैंक में जमा होती है, उक्त दोनो प्रकार की राशि निगम आगार/बुकिंग घर के चेस्ट में रहती है, उक्त राजस्व को बैक में अगले कार्य दिवस में निगम के सग्रंहण /आहरण खाते में जमा कराया जाता है। इस प्रकार निगम कोष में जमा राशि की सुरक्षा और सग्रंहित राशि को बैक में जमा करवाये जाने तक बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत मान्य होगी ।
3. यह कि कैश इन ट्रांजिट एवं कैश इन सेफ का बीमा निगम की सभी युनिटस अर्थात मुख्यालय, आगार अधिनस्थ बुकिंग घरों एवं मेला स्थल जो राज्य एवं अन्तर्राजीय सीमा में स्थित है, संलग्न सूची के अनुसार होगा ।
4. यह है कि कम्पनी को निगम के द्वारा राशि ..../—रू.(रू........................ रूपये मात्र) सेवा कर सहित देय होगी ।
5. यह है कि बीमा कम्पनी निगम को लूट, चोरी, डकैती दंगें, हडताल व आगजनी, दुर्भावनावश आकस्मिक कारणों से मार्ग में हुई राशि की हानि की क्षतिपूर्ति करेगी साथ ही राशि जो निगम परिसर में सेफ/सैफो में रखी होगी यदि सेन्धमारी , ग्रह भेदन लूट होल्डअप दंगें हडताल आगजनी व दुर्भावना से हुईहानि की क्षतिपूर्ति भी बीमा कम्पनी करेगी।
6. यह है कि बीमा कम्पनी की धन बीमा पॉलिसी की परिभाषायें एवं अपवर्जनाएं (Exclusions) इस अनुबन्ध का भाग होगी।
7. यह है कि केश हेतु संधारित रेकार्ड/सैफ की चाबियां रखने आदि की प्रकिया निगम नियमानुसार बीमा कम्पनी को मान्य होगी।
8. निगम के विभिन्न आगार, आगार अधिनस्थ बुकिग घर, केन्द्रिय कार्यशाला, केन्द्रिय भण्डार, मेला स्थल आदि यूनिटस संलग्न सूची के अनुसार बीमीत होगी। उक्त सूची इस अनुबन्ध का भाग होगी । भविष्य में दोनों पक्षों की सहमति से यूनिटस घटाई या जोडी जा सकती है।
9. यह है कि अनुबन्ध की अवधि में घटित घटना के सम्बन्ध में सूचना एक माह के अन्दर—अन्दर बीमा कम्पनी को देनी होगी। अनुबन्ध अवधि के दोरान एवं अनुबन्ध अवधि की समाप्ति के एक माह के अन्दर—अन्दर प्रस्तुत करना- होगा। यदि किसी उचित कारण से क्लेम प्रस्तुत करने में विलम्ब होता है तब ऐसी स्थिति में भी बीमा कम्पनी क्लेम स्वीकार करेगी।
10. यह है कि बीमा क्लेम के लिये आवश्यक दस्तावेज यथा घटना की सूचना, प्रथम सूचना रिपोर्ट आदि निगम द्वारा बीमा कम्पनी को उपलब्ध करवाया जावेगा।
11. यह है कि दावे से सम्बन्धित आवश्यक प्रपत्र /सूचना प्राप्त होने पर सामान्य स्थिति में अधिकतम एक माह की अवधि में बीमा कम्पनी द्वारा आवश्यक रूप से

दावें का निस्तारण कर क्लेम राशि का भुगतान निगम को किया जावेगा अन्यथा दावों के विलम्ब से निस्तारण की स्थिति मे आई.आर.डी. ए. के नियमो के अनुसार बीमा कम्पनी उत्तरदायी होगी ।

12. यह है कि दावा राशि के भुगतान का चैक बीमा कम्पनी द्वारा वित्तीय सलाहकार राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम मुख्यालय, परिवहन मार्ग, जयपुर के नाम भिजवाया जावेगा।

13. यह है कि अनुबन्ध कियान्वयन शर्तो एवं अनुबन्ध से सम्बन्धित अन्य किसी प्रकार की विवेचना के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर, विवाद के निस्तारण के लिये सोल आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेंशन एक्ट 1996 के नियमों के अनुसार रखा जावेगा।

14. यह है कि कैश इन ट्रांजिट एवं कैश इन सैफ का क्लेम प्राप्त करने के लिये, निगम बीमा दावें के लिये बीमा कम्पनी के विरूद्व दावा करने हेतु सक्षम होगा।

15. यह है कि निगम के राजस्व को सभी आगारों में कैशियर एवं एक अन्य कर्मचारी के द्वारा निगम वाहन से तथा ऐसे स्थान जहां निगम वाहन नही जाती है, निगम कि उक्त प्रकिया से बीमा कम्पनी सहमत है।

16. धन बीमा पॉलिसी की अनुसूचि में वर्णित Limit of Any one Loss के लिये सम्बन्धित यूनिट /आगार/बुकिगघर के लिये पॉलिसी में वर्णित आय की अधिकतम राशि होगी।बीमा कम्पनी का उक्त पत्र अनुबन्ध का भाग होगा।

उक्त अनुबन्ध को दो प्रतियो में तैयार कर हस्ताक्षर किये गये है जिसमें प्रथम मूल प्रति निगम के पास एवं द्वितीय प्रति बीमा कम्पनी के पास रहेगी तथा दोनो प्रतियां ही मूल मानी जावेगी।

स्थानः जयपुर

दिनांक

बीमा कम्पनी की ओर से प्राधिकृत अधिकारी	निगम की ओर से प्राधिकृत अधिकारी

गवाह(प्रथम) गवाह(प्रथम)

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

गवाह(द्वितीय) गवाह(द्वितीय)

हस्ताक्षर हस्ताक्षर

RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORP. JAIPUR

UNITWISE AVERAGE DAILY REVENUE FOR INSURANCE

SR NOS	NAME OF DEPOT /BOOKING	Average Revenue (Rs)
1	AHMEDABAD	208,000
2	ABUROAD	243,000
3	AJMER	360,000
4	MADANGANG KISHANGARH	53,000
5	AJAYMERU	411,000
6	KEKRI	37,000
7	ANOOPGARH	390,000
8	ALWAR	644,000
9	BARAN	372,000
10	BARMER	425,000
11	BEAWER	502,000
12	BUNDI	345,000
13	BANSWARA	436,000
14	BHARATPUR	457,000
15	BHILWARA	622,000
16	BIKANER	591,000
17	CBS AJMER	426,000
18	CBS JAIPUR	1,918,000
19	CHITTORGARH	472,000
20	CHURU	339,000
21	DAUSA	252,000
22	DHOLPUR	383,000
23	AGRA	71,000
24	DEHLI	441,000
25	CHANDIGARH	25,000
26	HARIDWAR	92,000
27	DEEDWANA	308,000
28	DUNGARPUR	382,000
29	DELUXE	279,000
30	FALANA	182,000
31	HANUMANGARH	668,000
32	HINDON	382,000
33	JAIPUR DEPOT	696,000
34	JAISALMER	171,000
35	JALOR	359,000
36	JHALAWAR	379,000
37	JHUNJHUNU	553,000
38	JODHPUR	836,000
39	KHETRI	291,000
40	KOTPUTLI	265,000
	TOTAL	**16,266,000**

SR NOS	NAME OF DEPOT /BOOKING	Average Revenue (Rs)
41	KAROLI	90,000
42	KOTA	604,000
43	LOHAGARH	482,000
44	MATHURA	26,000
45	MATSYANAGAR	581,000
46	NAGOR	457,000
47	PALI	345,000
48	PHALODI	293,000
49	PRATAPGARH	175,000
50	RAJSAMAND	189,000
51	SARDARSAHAR	403,000
52	SAWAI MADHOPUR	155,000
53	SIKAR	825,000
54	SIROHI	316,000
55	SHAHPURA	162,000
56	SRIGANGANAGAR	597,000
57	SRIMADHOPUR	349,000
58	TONK	447,000
59	TIZARA	331,000
60	UDAIPUIR	859,000
61	VAISHALINAGAR	551,000
62	VIDHYADHARNAGAR	210,000
63	RAMDEORA MELA GROUND	245,000
64	KELADEVI MELA GROUND	1,980,000
	TOTAL AMOUNT	10,672,000
	TOTAL OF PAGE 1	16,266,000
	GRAND TOTAL	26,938,000

बीमा कार्य में तकनीकी बोली (Technical bid) का प्रोफॉर्मा:—

1. बीमा करने वाली फर्म का नाम एवं पता:—

2. बीमा करने वाली फर्म के तकनीकी अनुभवों का विवरण:—

3. बीमा करने वाली फर्म के जी.एस. टी.नम्बर:—

4. बीमा करने वाली के PAN नम्बर:—

5. बीमा करने वाली फर्म के बीमा कार्य के रजिस्ट्रेशन नम्बर:—

6. बीमा करने वाली फर्म द्वारा गत 5 वर्षो में जिन—जिन सस्थानों में कार्य किया, उसका सम्पूर्ण विवरण:—

7. बीमा करने वाली फर्म द्वारा बीमा राशि के विरूद्ध गत 5 वर्षो में विभिन्न सस्थानों में घटना के घटित होने पर कितनी—कितनी राशि का क्लेम का भुगतान किया गया, का सम्पूर्ण विवरण:—

8. बीमा करने वाली फर्म द्वारा विभिन्न सस्थानों में अस्वीकृत किये गये बीमा क्लेम की राशि, एवं बीमा क्लेम अस्वीकृति के क्या—क्या कारण रहे, का पूर्ण विवरण:—

9. अन्य विशेष विवरण:—

स्थान:—
दिनांक:—

हस्ताक्षर
(फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि)
फर्म का नाम एवं पूर्ण पता

बीमा कार्य में वित्तीय बोली (Financial bid) का प्रोफॉर्माः–

1 बीमा करने वाली फर्म का नाम एवं पताः–

2 बीमा करने वाली फर्म के जी.एस. टी.नम्बरः–

3 बीमा करने वाली फर्म के PAN नम्बरः–

4 बीमा करने वाली फर्म के बीमा कार्य के रजिस्ट्रेशन नम्बरः–

5 बीमा करने वाली फर्म द्वारा दी गई दरें एवं विवरण, यदि कोई होः–

6 अन्य विशेष विवरणः–

स्थानः–
दिनांकः–

हस्ताक्षर
(फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि)
फर्म का नाम एवं पूर्ण पता